

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 03, मंगलवार, शाके 1947- जून 24, 2025 Asadha 03, Tuesday, Saka 1947- June 24, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 23, 2025

संख्या प. 16 (2) गृह-9/2022 :-यतः, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थान पर स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टेशन से संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या उसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा;

अतः अब, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 21/20/62/पोल(1) दिनांकित 4 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 19) की धारा 2 के खंड (8) के उप-खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त स्थान को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से इसके द्वारा प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करती है।

अनुसूची

क्र. सं.	जिला दौसा, तहसील	ग्राम	भूमि खसरा सं.	रकबा हैक्टर	पूर्व खसरा सं.	पश्चिम खसरा सं.	उत्तर खसरा सं.	दक्षिण खसरा सं.
1.	नांगल राजावतान	कानपुरा	574/930	1. 1000 पुनरावर्तक, रकबा 0.4600	574/930	574/1 और 574	568/1 और 574/1	ग्राम टिटोली की सीमा
2.	लवाण	रजवास	299/8	0.1200	299/5	299/3	299/4	274
3.	महवा	पाटोली	261, 261/1590	0.1900 0.1100	259	ग्राम आतरहेडा की सीमा	260	262
4.	महवा	मौजपुर	90/484	1.3600 पुनरावर्तक का क्षेत्र 0.0016	90/484 और एनएच 21	90/484	90/484	90/484

राज्यपाल की आज्ञा से,

महेश कुमार शर्मा,
उप शासन सचिव।

Home (Group-9) Department

Notification

Jaipur, June 23, 2025

No. F.16(2)Home-9/2022 .-Whereas, the State Government is satisfied that the information with respect to, or the destruction of or obstruction thereof or interference with the Indian Oil Corporation Limited's Station situated at the place specified in the Schedule appended hereto would be useful to an enemy;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Central Act No. 19 of 1923) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs's notification number. 21/20/62/Poll (I) dated the 4 May, 1963, the State Government hereby declares, with effect on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the said place to be the prohibited place for the purposes of the said Act.

Schedule

Sr . N o.	District dausa, Tehsil	Village	Land Khasra No.	Rakba (Hect.)	East Khasra No.	West Khasra No.	North Khasra No.	South Khasra No.
1.	Nangal Rajawatan	Kanpura	574/930	1.1000 repeater ,Rakba 0.4600	574/930	574/1 and 574	568/1 and 574/1	Border of Village Titoli
2.	Lawan	Rajwas	299/8	0.1200	299/5	299/3	299/4	274
3.	Mahwa	Patoli	261, 261/1590	0.1900 0.1100	259	Border of Village Antarheda	260	262
4.	Mahwa	Maujpur	90/484	1.3600 repeater ka area 0.0016	90/484 and NH-21	90/484	90/484	90/484

By the order of Governor,

Mahesh Kumar Sharma,
Deputy Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।